

कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्रमांक-723/680/अका0प्र0/आउशि/09,
प्रति,


भोपाल, दिनांक- 30/7/09

प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक,
शासकीय महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश

विषय:- पुस्तक लेखन की अनुमति बाबत ।

—000—

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कार्यालय को प्राप्त पुस्तक लेखन की अनुमति के आवेदन कार्यालय द्वारा दिनांक 17.3.09 को जारी निर्देशानुसार नहीं किए जा रहे हैं । जारी पत्र को पुनः संलग्न किया जा रहा है पुस्तक लेखन के आवेदन तदानुसार प्रेषित करने का कष्ट करें ।
(आयुक्त, उच्च शिक्षा के निर्देशानुसार)


विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (जे0एम0)
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन, भोपाल

कमांक-२१५/ /अका०प्र०/आउशि/०९,

भोपाल, दिनांक-१७-३-०९

प्रति,

प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक,
शासकीय महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश ।

विषय:-पुस्तक लेखन की अनुमति के सम्बन्ध में ।

—000—

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापकों द्वारा पुस्तक लेखन की अनुमति हेतु कार्यालय आयुक्त में आवेदन प्रस्तुत करते समय निम्न पूर्तियों करके आवेदन करें ताकि अनुमति प्रदान करने में अनावश्यक विलम्ब न हो -

1. आवेदन प्राचार्य द्वारा अग्रेषित हो ।
2. प्रकाशक से अनुबन्ध पत्र की प्रति ।
3. आवेदन में पुस्तक की कीमत एवं रॉयल्टी से आय का उल्लेख हो ।
4. रॉयल्टी से आय पर नियमानुसार आयकर देने का शपथ-पत्र ।

पू०कमांक-२९५/ /अका०प्र०/आउशि/०९,

प्रतिलिपि:-

1. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ ।
2. समस्त प्राचार्य, अग्रणी महाविद्यालय, अपने क्षेत्राधिकार के महाविद्यालयों को अवगत कराने हेतु ।

(आशीष उपाध्याय)

आयुक्त,
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक-१७.३.०९

आयुक्त,
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश